मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

पत्र क्र. 15924/22/वी–12/GM/ CN/2(85) Part/2017 भोपाल, दिनांक 29/06/2017

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई ....
जिला ....(म.प्र.)

विषयः– पी.एम.जी.एस.वाये. के अन्तर्गत आने वाले मार्गो पर विद्युतलाईनो को शिफ्ट करने /ऊँचा करने के संबंध में।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग काफी अधिक राशि की स्वीकृति, प्रधानमंत्री सड़को के अन्तर्गत आने वाले मार्गो पर विद्युतलाईनो को शिफ्ट करने /ऊँचा करने के लिये व्यय की जा रही है।

वर्तमान में भी विभिन्न जिलों से विद्युतलाईनो को शिफ्ट करने/ऊँचा करने के संबंध में प्रकरण मुख्यालय को प्राप्त हो रहे है। इन मार्गो में प्रतिलाईन क्रासिंग का व्यय लगभग 1 लाख रूपयें प्रति क्रासिंग के हिसाब से आ रहा है जो कि बहुत अधिक है। वरिष्ठ अधिकारियो के भ्रमण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण के बाद अथवा निर्माण के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा नई लाइनों का निर्माण कार्य/विस्थापन करते समय भी आवश्यक वर्टिकल एवं होरिजंटल क्लियरेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सड़कों पर भविष्य में विद्युत पोल विस्थापन हेतु राशि की मांग कंपनियों द्वारा की जाने की संभावना है। अतः सभी महाप्रबंधक को यह ध्यान रखना चाहिए की प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़को पर विद्युत पोल विस्थापन कार्यो के लिये नई लाइनो पर विद्युत कंपनियों द्वारा मांग न की जा सकें। इस हेतु तत्काल संबंधित कंपनी के साथ पत्राचार कर उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए। कृपया नोट करे की भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकरण में स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

अतः परियोजना कियान्वयन इकाई को यह ध्यान में रखना होगा की मार्ग निर्माण के उपरांत विद्युतलाईनो को शिफ्ट करने /ऊँचा करने के संबंध में संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को लेख कर मार्गो के ऊपर से अथवा साईड से जाने वाले लाईनों के लिये आवश्यक क्लियरेंस पूर्व से ही मैनटेन करने हेतु लिखा जाये, एवं जिन मार्गो में पूर्व से ही विद्युत लाइने निर्धारित मापदण्ड से कम क्लियरेंस दर्शित हो रहा है ऐसी स्थिति में संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को यह स्थिति उनके ध्यान में लाते हुये यह लेख करें की मार्ग निर्माण के उपरांत होने वाले विद्युतिकरण कार्य हेतु कोई भी राशि प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होंगी।

27/6/17

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

E:\DATA\VIDHUT POL SIPTING\VIDHUT POL SIPTING LATTER.DOCX

पत्र क्र. 15925 / 22 / वी–12 / GM / CN / 2(85) Part/2017 भोपाल, दिनांकः 29 / 06 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध निर्देशक म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल / प्रबंध निर्देशक म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, रामपुर जबलपुर / प्रबंध निर्देशक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, (पोलो ग्राउंड) इंदौर
2. मुख्य महाप्रबंधक .... समस्त मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।

27/6/17

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)